



SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner - 334006 (Rajasthan)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

दिनांक 04.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 103वीं बैठक के कार्यवृत्त।

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

- | | |
|--|----------------|
| 1. प्रो० (डॉ०) आर०पी० सिंह, | अध्यक्ष |
| कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | |
| 2. प्रो० एच०एस० शर्मा | सदस्य |
| पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनित विख्यात शिक्षाविद् | |
| 3. प्रो० राजीव जैन, | सदस्य |
| पूर्व अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनित विख्यात शिक्षाविद् | |
| 4. डॉ० बजरंग ककरालिया, | सदस्य |
| विभागाध्यक्ष, प्लांट फिज़ियोलॉजी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित विख्यात वैज्ञानिक | |
| 5. श्री अशोक चौधरी, | सदस्य |
| राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रगतिशील किसान | |
| 6. डॉ० आई०पी० सिंह, | सदस्य |
| अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर | |
| 7. डॉ० मीनाक्षी चौधरी | सदस्य |
| निदेशक, प्राथमिकता, निगरानी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बीकानेर | |
| 8. डॉ० ए०के० शर्मा, | सदस्य |
| आचार्य, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर | |
| 9. डॉ० वी० एस० आचार्य, | सदस्य |
| सह-आचार्य, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर | |
| 10. डॉ० सीमा त्यागी, | सदस्य |
| सहायक आचार्य, प्राथमिकता, निगरानी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बीकानेर | |
| 11. श्री बी०एल० सर्वा, | आमंत्रित सदस्य |
| वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | |
| 12. प्रो० राजेश शर्मा, | सदस्य सचिव |
| कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | |



श्री विनोद कुमार, माननीय विधायक (हनुमानगढ़), डॉ० रामकेवल सिंह, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन), आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार, संभागीय आयुक्त, बीकानेर एवं प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं डॉ० वाई० सुदर्शन, आचार्य (जीव रसायन), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल प्रो० (डॉ०) विष्णु शर्मा, माननीय कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ० पी०सी० गुप्ता, आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर एवं डॉ० सत्यवीर सिंह मीणा, सहायक आचार्य, कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन संस्थान, बीकानेर द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं सेवाओं की सराहना के साथ ही नये मनोनीत सदस्यों में कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ० वाई० सुदर्शन, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर एवं डॉ० वी०एस० आचार्य, सह-आचार्य, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर व बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया।

सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल प्रो० (डॉ०) आर०पी० सिंह का स्वागत माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्यगणों द्वारा किया गया।

बैठक में विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम-103/2019-2/1369	101वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.10.2018 एवं 102वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 101वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.10.2018 एवं 102वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-103/2019-2/1370	101वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.10.2018 एवं 102वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 101वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.10.2018 एवं 102वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-103/2019-2/1371	52वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 52वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2019 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-103/2019-2/1372	माननीय कुलपति द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।



स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1373	<p>विषय विशेषज्ञ (एस०एम०एस०) पद के चयन मण्डल में भारतीय मेट्रोलोजीकल डिपार्टमेंट के एक सदस्य को आमंत्रित करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञ (एस०एम०एस०) पद के चयन मण्डल में भारतीय मेट्रोलोजीकल डिपार्टमेंट के एक सदस्य को आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए यह पारित किया गया कि विश्वविद्यालय के परिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु प्रकरण राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित किया जावे। (कार्यवाही : कुलसचिव)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1374	<p>अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव व अन्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर दिये जाने वाले भत्तों की दरों में वृद्धि किए जाने हेतु।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव व अन्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर दिये जाने वाले भत्तों की दरों में वृद्धि किए जाने के प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और यह पारित किया गया कि उक्त प्रकरण में विचार-विमर्श हेतु एक समिति का गठन किया जाये और समिति की अनुशंसा विद्या परिषद् की बैठक में आगामी कार्यवाही हेतु रखी जावे। (कार्यवाही : कुलसचिव)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1375	<p>आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी सेवा-नियमों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के संबंध में।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी सेवा-नियमों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। (कार्यवाही : कुलसचिव)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1376	<p>स्पर्ण पदक हेतु ग्रुप/विषय/स्नातकोत्तर छात्र संख्या एवम् मानदण्ड निर्धारित किए जाने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्पर्ण पदक हेतु ग्रुप/विषय/स्नातकोत्तर छात्र संख्या एवम् मानदण्ड निर्धारित किए जाने के प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और यह पारित किया गया कि प्रकरण में समिति का गठन विद्या परिषद् द्वारा किया गया है। अतः समिति की अनुशंसा सर्वप्रथम विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जावे। (कार्यवाही : कुलसचिव)</p>



स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1377	<p>ग्रेड-पे रू० 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधिनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा किये जाने के संबंध में।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श उपरान्त ग्रेड-पे रू० 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधिनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>(कार्यवाही : कुलसचिव)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1378	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्मिकों की भविष्य निधि राशि को निजी निक्षेप खाता (ब्याज सहित) में जमा करवाने के संबंध में।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्मिकों की भविष्य निधि राशि को राजकीय कोषालय में संधारित निजी निक्षेप खाता (ब्याज सहित) में जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1379	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 का अनुमोदन करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 का अनुमोदन किया जाता है।</p> <p>(कार्यवाही : निदेशक, पी०एम०ई०)</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1380	<p>माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से जारी आदेश क्रमांक प० 272(v)/स्वाकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-II/2019/652 दिनांक 06.08.2019, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त परमानन्द डिग्री कॉलेज, गहसिंहपुर- श्रीगंगानगर, सुरेन्द्र कौर मेमोरियल कृषि महाविद्यालय, पदमपुर-श्रीगंगानगर, महाराजा अग्रसेन कृषि महाविद्यालय, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर एवं स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया-हनुमानगढ़ को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता प्रदान की गई की पुष्टि करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।</p>





<p>स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1381</p>	<p>विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों से लिये जा रहे निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क राशि में बढ़ोतरी किए जाने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों से लिये जा रहे आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क राशि निम्नानुसार वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र शुल्क राशि 5 हजार 2. पंजीकरण शुल्क राशि 50 हजार 3. निरीक्षण शुल्क राशि 3 लाख 4. सम्बद्धता शुल्क राशि 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले निजी महाविद्यालय में 9 लाख तथा 120 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले निजी महाविद्यालयों में 12 लाख रुपये। <p>उक्त शुल्क आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू होगा और उसके पश्चात् दो वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही प्रकरण तीन वर्ष पश्चात् पुनः माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी पारित किया गया कि निजी कृषि महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाये और निर्धारित मापदण्डों में यदि कोई कमी पाई जाये तो मापदण्डों की पालना नहीं किये जाने पर शास्ति निर्धारित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित कर शास्ति की दर निर्धारित की जाये तथा इसे लागू किये जाने हेतु माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया साथ ही प्रसारित आदेश आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जाये।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : कुलसचिव)</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1382</p>	<p>श्री राधाकृष्ण यादव, क्लर्क ग्रेड-II की वरियता का निर्धारण करने के संबंध में।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री राधाकृष्ण यादव, क्लर्क ग्रेड-II की वरियता का निर्धारण करने प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और यह पारित किया गया कि श्री राधाकृष्ण यादव, क्लर्क ग्रेड-II की वरियता पर विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों से नीचे रखा जाकर क्लर्क ग्रेड-II की अस्थायी वरियता सूची जारी कर 15 दिन में आपत्ती मांगी जावे। आपत्ती न प्राप्त होने की स्थिति में स्थायी वरियता सूची जारी की जावे। इस हेतु श्री राधाकृष्ण यादव से भविष्य में कोई दावा नहीं करने का शपथ पत्र भी लिया जाये।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : कुलसचिव)</p>



स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1383	आरक्षण रोस्टर के प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के संबंध में । माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है । (कार्यवाही : कुलसचिव)
स्वाकेराकृवि/बोम-103/ 2019-2/1384	अन्य प्रकरण माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार किया जायेगा । 1. प्रो० एच०एस० शर्मा माननीय सदस्य द्वारा सौर ऊर्जा एवम् वर्षा जल का समुचित उपयोग करने का सुझाव दिया गया । माननीय कुलपति एवं सभी माननीय सदस्यों ने इस सुझाव का समर्थन किया और जल्द से जल्द विश्वविद्यालय द्वारा सौर ऊर्जा एवम् वर्षा जल संचयन की दिशा में कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया । (कार्यवाही : भू-सम्पत्ति कार्यालय/प्रभारी सिमका)

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।


{प्रो० राजेश शर्मा}
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल


{प्रो०(डॉ०) आर०पी० सिंह}
कुलपति एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल